



# जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,

पंजीकृत कार्यालय: विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर-302005

दूरभाष: 0141-2743794 फैक्स: 0141-2740534

वेबसाईट: [jaipurdiscom.com](http://jaipurdiscom.com)

क्रमांक जेपीडी/प्रशा./भर्ती/पत्रा.-1/प्रे. 671

दिनांक 3-10-16

## आदेश


शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् (उत्तरी क्षेत्र), भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, कानपुर ने शिक्षुता अधिनियम, 1961 संशोधित अधिनियम, 1973 एवं 1986 की धारा 8(3-ए) के अन्तर्गत निम्नलिखित (डिग्री/डिप्लोमा) अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु इस निगम से सम्बद्ध किया है। निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके नाम के आगे अंकित अधिकारी को प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम सर्व श्री/सुश्री	शाखा	संबंधित जिला	अधिकारी जो पदस्थापन आदेश जारी करेंगे।
1	SHEENA TAHIRA KHAN ABDUL TAWWAB KHAN 185-B WAQF NAGAR NEAR CENTRAL ACADEMY SCHOOL DADAB KOTA-324009 MOB. NO. 8290616919	Electrical Engineering (G)	कोटा	अधीक्षण अभियन्ता(को.व.), कोटा
2	PRAGYA GADWAL RAGHUVVEER PRASAD POWER HOUSE INDIRA GANDHI NAGAR DCM KOTA-324004 MOB. NO. 8107855844	Electrical Engineering (G)	कोटा	अधीक्षण अभियन्ता(को.व.), कोटा
3	FAINYA OBERAI BHAGVAT PRASAD RADHA KRISHNA MANDIR KE PASS 15/56, BNARAYANA GATE, BHARATPUR-321001 MOB. NO. 8560047054	Electrical Engineering (G)	भरतपुर	अधीक्षण अभियन्ता(पवस), भरतपुर
4	SUKHRAM MEENA KANHAIYA LAL MEENA 388 BRIAJ VIHAR JAGATHPURA JAIPUR- 302017 MOB. NO. 9694143139	Electrical Engineering (G)	सवाईमाधोपुर	अधीक्षण अभियन्ता(पवस), सवाईमाधोपुर
5	NAINA KUMARI SURAJMAL G-8 RSEB COLONY SAKATPURA KOTA-324008 MOB. NO. 8769245040	Electrical Engineering (G)	कोटा	अधीक्षण अभियन्ता(को.व.), कोटा
6	PAWAN KUMAR VIJAY KISHAN GOPAL VIJAY VILL BHONRA, TEH.-ATRU, BARAN-325223 MOB. NO. 9782173255	Electrical Engineering (G)	बारान	अधीक्षण अभियन्ता(बां.व.), बारान
7	MAYANK ASHOK JAIN JAHALAWAR-326502 MOB. NO. 9571480769	Electrical Engineering (G)	बारान	अधीक्षण अभियन्ता(बां.व.), बारान
8	MUKESH KUMAR GARHWAL MURLI DHAR GARHWAL VPO JAJE KALAN TEH.-SHAHPURA JAIPUR-303103 MOB. NO. 7790904820	Electrical Engineering (G)	जयपुर	अधीक्षण अभियन्ता(M&P), जयपुर

### यह प्रशिक्षण निम्नांकित शर्तों के आधार पर होगा :-

1. प्रशिक्षु के नाम के सामने अंकित अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थिति देने की तिथि से एक वर्ष की अवधि का होगा तथा प्रत्येक अभियांत्रिकी(डिग्रीधारी) को 4984/- रुपये (अक्षरों चार हजार नौ सौ चौरासी रुपये) तकनीकी व्यवसायिक को 3542/- रुपये (तीन हजार पैंच सौ बयांलीस रुपये) प्रतिमाह भृतिका दी जावेगी।
2. प्रशिक्षुओं को एक वर्ष की इस प्रशिक्षण अवधि में 12 दिन का आकरिम्क अवकाश एवं 15 दिवस का चिकित्सा अवकाश देय होगा।
3. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को जयपुर डिस्कॉम में किसी भी स्थान पर रखा जा सकता है।
4. एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह प्रशिक्षण स्वतः ही समाप्त हो जावेगा तथा इस हेतु किसी प्रकार के शिक्षुता अवधि से संबंधित मुचित आदेश की आवश्यकता नहीं होगी।
5. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड इन प्रशिक्षुओं को वितरण निगम में रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं है। इस प्रकार प्रशिक्षुओं के लिए भी वितरण निगम में रोजगार स्वीकार करना आवश्यक नहीं होगा। नियमित रोजगार के लिए प्रतियोगितात्मक परीक्षा/साक्षात्कार द्वारा ही वितरण निगम में नियुक्ति अपनाई जाती है न कि इस प्रशिक्षण के आधार पर।

6. प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षु द्वारा अनुशासन भंग करने एवं आचार संहिता का उल्लंघन करने अथवा गलत घोषणा पत्र देने पर उनको बिना किसी पूर्व सूचना के शिक्षुता अवधि से मुक्त किया जा सकता है।
7. यदि उपरोक्त शर्तें स्वीकार हो तो स्वयं के नाम के समक्ष वर्णित अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट प्रशिक्षण स्थल पर आदेश जारी होने के 15 दिवस की अवधि में प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थिति/रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

  
(एम.एस. राठौड़)  
सचिव(प्रशासन)

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. अधीक्षण अभियन्ता ( ), जयपुर डिस्कॉम, ..... को प्रेषित कर लेख है, कि प्रशिक्षणार्थी को अप्रेंटिस के प्रशिक्षण हेतु यथासंभव उचित स्थान पर लगाने की व्यवस्था करें। संबंधित प्रशिक्षण अधिकारी को यह भी निर्देश प्रदान करें कि प्रशिक्षणार्थियों को घोषणा पत्र एवं अनुबंध पत्र की तीन प्रतियां जो कि प्रशिक्षुओं को भेज दी गई है जो उपस्थिति रिकार्ड के साथ उपस्थिति देने के 15 दिवस के अन्दर सीधे इस कार्यालय को भिजवायें तथा इनकी इंजीनियरिंग डिग्री/डिप्लोमा/तकनीकी व्यावसायिक एवं जन्मतिथि प्रमाण- पत्र का मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन करें। प्रशिक्षण आदेश जारी करने की एक प्रति इस कार्यालय को भी आवश्यक रूप से भिजवायें।
2. श्री ..... को उपरोक्त वर्णित पत्र पर प्रेषित करते हुये लेख है कि घोषणा पत्र/अनुबंध पत्र की तीन-तीन प्रतियां भेजते हुए निर्देश दिये जाते है, कि इन प्रतियों को पूर्ण रूप से भरकर प्रशिक्षण अधिकारी के पास उपस्थित होने के दिन प्रस्तुत करें एवं इंजीनियरिंग डिग्री/डिप्लोमा तथा अन्य शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण- पत्र की एक- एक सत्यापित प्रतियां भी इस कार्यालय को भी भिजवायें।
3. निदेशक बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग (उत्तर क्षेत्र), प्लाट नं० 16, ब्लॉक 1- ए लखनपुर जी.टी. रोड, कानपुर- 208024 (उत्तर प्रदेश) को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. संयुक्त निदेशक, तकनीकी शिक्षा, बनीपार्क पुलिस स्टेशन के पास, बनीपार्क, जयपुर-302016 को सूचनार्थ प्रेषित है।

  
(सहायक सचिव(भर्ती))